गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर, दिनांक : 21.05.07

क्रमांक 1219 / स्था. / प्रशा. / 2007

आदेश

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2002 की धारा 49 के प्रावधानानुसार गठित चयन समिति की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 18.05.2007 के अतिरिक्त विषय क्रमांक–07 के निर्णयानुसार **कु0 अल्का एक्का** (अजजा) की नियुक्ति निम्न शर्तों पर विश्वविद्यालय शिक्षण **विभाग के बायोटेक्नालॉजी विभाग के. व्याख्याता के पद** पर **वेतनमान रूपये 8000–13500/–** में दो वर्ष की परिवीक्षा पर (जो विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत बने परिनियम के अनुसार आगे बढ़ाई जा सकती है) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की जाती है।

कार्यभार ग्रहण की अवधि के लिये वेतन / यात्रा भत्ता आदि नहीं दिया जावेगा। वेतनमान के साथ समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते देय होंगे।

यदि परिवीक्षावधि में कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया अथवा विश्वविद्यालय को इनकी सेवाओं की आवश्यकता न हो तो एक माह की पूर्व सूचना या एक माह का वेतन देकर सेवा से पृथक किया जा सकता है।

इनकी सेवायें, चालचलन संबंधी जांच उपयुक्त एवं अच्छा पाये जाने पर ही वैध होगी।

दिनांक 11.06.2007 तक पद का कार्यभार ग्रहण किया जाना चाहिये. अन्यथा नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी। सेवा शर्तें विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत परिनियम 31 एवं अध्यादेश–4 के अंतर्गत संचालित होगी।

विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय लिखित रूप से सूचित करना होगा कि उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य है।

वेतन एवं अन्य शर्ते उपर्युक्तानुसार होगी, अन्य कोई शर्त मान्य नहीं होगी। इस नियुक्ति में आरक्षण रोष्टर का पालन किया गया है।

नियुक्ति पर होने वाला व्यय स्थापना मद में विकलनीय होगा।

कार्यपरिषद के आदेशानुसार

कुलसचिव

बिलासपुर दिनांक : 21.05.07

पृ0 क्रमांक 1220 / स्था. / प्रशा. / 2007

प्रतिलिपि :–

01. महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
02. कुलपति / कुलसचिव के सचिव / निज सहायक को कुलपति जी / कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ।
03. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
04. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर।
05. आयुक्त, उच्च शिक्षा, महाविद्यालयीन शिक्षा एवं पेंशन प्रकोष्ट, विज्ञान महाविद्यालय परिसर, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
06. विभागाध्यक्ष, बायोटेक्नालॉजी विभाग, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
07. वित्ताधिकारी / सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
08. **कु0 अल्का एक्का, पिता–स्व. श्री जगदीश एक्का, द्वारा–श्री बी.के.एक्का, ए / 178, अज्ञेय नगर, बिलासपुर (छ.ग.)** को इस निर्देश के साथ कि वे **दिनांक 11 जून 2007 तक** आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करें। कार्यभार ग्रहण करने की सूचना के साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण, आयु, जाति, पात्रता तथा शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियॉं कार्यभार ग्रहण करते समय परीक्षण हेतु प्रस्तुत करें। कार्यभार ग्रहण तिथि से 07 दिवस के अन्दर सेवा अनुबंध भी आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। आपके द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र की वैद्यता का सत्यापन कराया जाना प्रस्तावित है, यदि सत्यापन उपरांत आपके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र असत्य अथवा अवैध पाया जाता है तो आपकी नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जायेगी एवं इस संबंध में आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
09. निजी नस्ती।

उप–कुलसचिव (प्रशा. / स्था.)